संख्या 577/लो0नि-2/03-1(65-लो0नि0ट)/02

प्रेषक,

टी0 के0 पन्त,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता, स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादून, दिनांक 28 अगस्त, 2003

विषयः- वित्तीय वर्ष 2003-2004 में नये मोटर मार्गों की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 481/ 24-यातायात(12) उत्तरांचल/2002 दिनांक 07 मार्च 2003 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-8448/लो0नि-2/2002-95(प्रा0आ0)/2002, दिनांक 19 दिसम्बर 2002 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची में उल्लिखित कुल-4 (चार) मोटर मार्गों के रु0 62.35 लाख के आगणनों पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण आंकलित धनराशि रु0 62.35 लाख (रु0 बासठ लाख पैंतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003-2004 में संलग्न विवरणानुसार रु013.00 लाख (रु0 तेरह लाख मात्र) की धनराशि के व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2.(क) मार्ग निर्माण से पूर्व परियोजना के विस्तृत सर्वेक्षण आदि का कार्य कर विस्तृत प्लान क्रास सेक्शन तथा एल सेक्शन तैयार कर नियमानुसार प्लान एवं एल सेक्शन को अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदित करा लें ।

(ख) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर लें, एवं विस्तृत आगणन में एक मुश्त प्राविधान न रखे जाय ।

(ग) कार्य की स्वीकृत लोक निर्माण विभाग की स्वीकृत विशिष्टियों के अनुरूप किया जाय ।

3. नव निर्माण मोटर मार्ग हेतु जो भूमि अर्जित की जायेगी, उसे निर्माण के दौरान भूमि को सम्बन्धित विभाग के नाम करा दी जाय, तथा खाता-खतौनी, खसरा सम्बन्धित विभाग अपने अधीन रखेंगें ।

4. निर्माण कार्य का वित्त पोषण नये निर्माण कार्यों हेतु एक मुश्त व्यवस्थित धनराशि से किया जायेगा ।

5. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय । निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/ पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय, तथा उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं कार्यों पर किया जाय, जिसके लिये यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है ।

6. व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा जिनके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है ।

7. यदि उक्त कार्य के लिये अन्य विभागीय बजट में कोई धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उसके लिये धनराशि का आहरण नहीं किया जायेगा, या उसी सीमा तक धनराशि आहरित की जायेगी, जिस सीमा तक कार्य अवशेष है । अवशेष बची धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी ।

8. भविष्य में नियमानुसार 80 प्रतिशत वाले कार्य तथा 20 प्रतिशत नये कार्य के सिद्धान्त का अनुपालन करते हुये निर्माण कार्य दो वर्षों में पूरा कराया जायेगा ।

9. वित्तीय वर्ष के अन्त तक उपरोक्त धनराशि से कुल कार्यों की वित्तीय और भौतिक प्रगति से शासन को अवगत कराया जायेगा ।

10. निर्माण कार्य दो वर्ष में पूर्ण करने एवं कार्य की गुणवत्ता के लिये सम्बन्धित अभियन्ता उत्तरदायी होंगे ।

11. इस कार्य पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2003-2004 के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़के-आयोजनागत-800- अन्य व्यय-03-राज्य सैक्टर-02-नया निर्माण कार्य-24-वहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा ।

12. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0- 1008/ वित्त अनुभाग-3/2003 दिनांक 20 अगस्त, 2003 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

टी0 के0 पन्त
उप सचिव ।

संलग्नक-यथोक्त ।

संख्या 577 (1)/लो0नि-2/03, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल, इलाहाबाद/देहरादून ।
2. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल ।
3. जिलाधिकारी, पिथौरागढ ।
4. मुख्य अभियन्ता (कुमाऊं क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, 12 वां वृत्त लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ ।
6. वित्त अनुभाग-3/ वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन ।
7. वित्त नियन्त्रक कार्यालय मुख्य अभियन्ता, स्तर-1, लो0नि0वि0, देहरादून ।
8. लोक निर्माण अनुभाग-1 उत्तरांचल शासन ।
9. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(टी0 के0 पन्त)
उप सचिव ।

संलग्नक-यथोक्त ।

शासनादेश संख्या- 577 /लो0नि-2/2003-1(65 -लोहाघाट)/2002 दिनांक

28 अगस्त,2003 का संलग्नक ।

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र0सं0	कार्य का नाम	लम्बाई किमी.	आगणन की लागत	टी.ए.सी. द्वारा अनुमोदित लागत	वित्तीय वर्ष 2003-2004 में आवंटन
1	2	3	4	5	6
1.	लटौर से दोली चिराली मोटर मार्ग का विस्तार	3.00किमी.	12.90	12.90	3.00
2.	झुलाघाट से बलुकडी मोटर मार्ग का निर्माण	6.00किमी.	25.80	25.80	5.00
3.	सिंघाली से बस्तडी मोटर मार्ग का निर्माण	2.50किमी.	10.75	10.75	2.00
4.	भागीचौरा से तितरी मोटर मार्ग का निर्माण	3.00किमी.	12.90	12.90	3.00
	योग:-		62.35	62.35	13.00

(रुपये तेरह लाख मात्र)

(टी0के0 पन्त)
उप सचिव ।